

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:- एफ 5(84)प्राशिनि / ई-1 / सी-1 / ५१५६-५१५८ दिनांक:- २२/४/१३

प्रधानाचार्य

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पोलिटेक्निक महा.

संयुक्त निदेशक

टीटीसी एण्ड एलआरडीसी /

प्राविधिक शिक्षा मंडल, जोधपुर।

कार्यालयाध्यक्ष,

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,

जोधपुर।

विषय:- दिनांक 1.9.2006 या इसके पश्चात स्वीकृत केरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान-2010 के परिपेक्ष में वेतन नियतन नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक प. 8(29)त.शि./2003 पार्ट-I दिनांक 9.4.2013 द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान के क्रियान्वयन के उत्पन्न विसंगतियों/विवाद के निराकरण हेतु माननीय प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 6.2.2013 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्वित हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में लिये गये निर्णय का इतिवृत्त वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101300989 दिनांक 22.3.2013 द्वारा अनुमोदित है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 5 में निम्नानुसार निर्णय उल्लेखित है:-

“ ए.आई.सी.टी.ई. पांचवे वेतनमान के सी.ए.एस. का लाभ पांचवे के नियम 1.9.2010 के अनुसार छठे वेतनमान की नोटिफिकेशन दिनांक 05.03.2010 के ठीक पूर्व तक देय है।”

उक्त निर्णय की पालनार्थ निदेशालय द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक 16140-69 दिनांक 3.11.2011 को निरस्त किया जाता है।

भवदीयः

25/४/१३

(एस.के. सिंह)

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक:- एफ 5(84)प्राशिनि / ई-1 / सी-1 / ५१५९

दिनांक:- २२/४/१३

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 8(29)त.शि./2003 पार्ट-I दिनांक 9.4.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

25/४/१३

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

१०८
२०१५